अपील क्रमांक 196/बो.प्र./नि.स./2024
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /03/2024

अपील प्रकरण क्रमांक 196/बो.प्र./नि.सहा./2024

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री डी.के. सोनी (अधिवक्ता), एवं RTI एक्टिविस्ट, नावापारा अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) मो.नं.–9826152904	**विरूद्ध**	श्री के.के. मित्तल, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 15.03.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री डी. के. सोनी (अधिवक्ता) के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2024 जो कार्यालय में दिनांक 26.02.2024 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 15.03.2024 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री के.के. मित्तल कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे ।

2 प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत कर "श्री आलोक कुमार अग्रवाल के वर्तमान पदस्थपना एवं नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि" की जानकारी समय–सीमा के अंदर प्रदान करने हेतु दिनांक 15.01.2024 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 18.01.2024) को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा 30 दिनों के भीतर जानकारी न दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो कार्यालय में दिनांक 26.02.2024 को प्राप्त हुआ ।

3. अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी ने अपने आवेदन पत्र में लेख किया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा 30 दिवस के अवधि के अन्दर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही उन्हें कोई सूचना दी गई। उन्होंने जानबूझ कर विलम्ब किये जाने का आरोप भी जनसूचना अधिकारी पर लगाया है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपील प्रकरण का निराकरण सुनवाई करने के उपरांत गुण–दोष के आधार पर करने हेतु निवेदन किया गया है।

4. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन में वांछित जानकारी मेरे अर्थात आलोक कुमार अग्रवाल से संबंधित जानकारी है, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्रावधान के तहत जन सूचना अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध पक्ष को उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी को ही प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है। विचाराधीन प्रकरण में जनसूचना अधिकारी श्री के. के. मित्तल, कार्यपालन

......2

अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) द्वारा निराकृत आवदेन में प्रथम अपील हेतु शासन द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण अभियंता (बोधी), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को ही अधिकृत किया गया है। शासन द्वारा पूर्व में पदस्थ अधीक्षण अभियंता (बोधी)/प्रथम अपीलीय अधिकारी का स्थानांतरण बिलासपुर किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 14.03.2024 को कार्यमुक्त किया जा चुका था। शासनादेश के परिपालन में अधोहस्ताक्षरी ने आज ही अधीक्षण अभियंता (बोधी) का पदभार ग्रहण किया है। प्रथम अपील का निराकरण एक अर्ध–न्यायायिक प्रक्रिया है। अतः पदेन दायित्यों के निर्वहन हेतु एवं प्रथम अपील के निराकरण में निर्धारित समय–सीमा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में इस प्रथम अपील का निराकरण किया जा रहा है।

5. अपीलार्थी सुनवायी में स्वय अनुपस्थित थे, किन्तु उन्होंने अपने अपील आवेदन में अपील का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया है।

6. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज उपस्थित होकर लिखित में बताया गया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र कार्यालय में दिनांक 18.01.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस की अवधि दिनांक 16.02.2024 को पूर्ण होती है। जनसूचना अधिकारी को स्थापना शाखा से 2 पृष्ठों में वांछित जानकारी दिनांक 19.02.2024 को प्राप्त हुयी। निर्धारित समय सीमा में जानकारी न दिये जाने के फलस्वरूप आवेदक अपीलार्थी को उनके आवेदन में वांछित जानकारी 2 पृष्ठों में कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/27/छ.ग./2024/1482 दिनांक 20.02.2024 के माध्यम से निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है।

7. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता हैः–

उत्तरवादी पक्ष अर्थात जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी 2 पृष्ठों में कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/27/छ.ग./2024/1482 दि. 20.02.2024 के माध्यम से अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। अतः प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते है।

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

......3

पृ.क्रं. / 196 / बो.प्र. / नि.स. / 2024 / 2471 रायपुर, दिनांक 15 / 3 / 2024

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री के.के. मित्तल, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी.के. सोनी (अधिवक्ता) एवं RTI एक्टिविस्ट, नावापारा अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/24

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)